न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3428–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–7–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 203/अपील/2007–08.

अमर सिंह पुत्र नान्हू
निवासी ग्राम लक्कड़जाम
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1– अजब सिंह पुत्र गम्मू
2– पंचम पुत्र गम्मू
3– भागु पुत्र गम्मू
निवासीगण ग्राम लक्कड़जाम
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.एल. सोनी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/1/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 19–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लक्कड़जाम, तहसील भैंसदेही जिला बैतूल की संशोधन पंजी क्रमांक 7 दिनांक 18–1–76 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही जिला बैतूल के समक्ष दिनांक 19–12–06 को प्रथम अपील लगभग 30 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अपील/06–07 दर्ज कर दिनांक 30–4–07 को आदेश पारित किया जाकर यह निष्कर्ष निकालते हुए अपील स्वीकार की गई कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 18–1–76 पारित करते समय संहिता द्वारा स्थापित विधि तथा प्रकिया का पालन नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–7–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए द्वितीय अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 30 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई कारण अवधि विधान की धारा 5 में नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक के भाई के जीवित रहते अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और उनकी मृत्यु उपरान्त नामांतरण आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि अनावेदकगण की दुर्भावना को स्पष्ट करता है । अंत में कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 30 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई है । अतः इस न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि सामान्य झूठ नहीं मानी जा सकती है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय से छल–कपटपूर्ण नामांतरण आदेश पारित करा लिया गया था, जिसकी जानकारी अनावेदकगण को नहीं थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 30 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई और उनके आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी बिहारीसिंह, गम्मू एवं अमरसिंह थे । राजस्व निरीक्षक द्वारा इकरारनामे के आधार पर बिहारीसिंह एवं गम्मू के नाम कम कर अमरसिंह का नाम दर्ज किया गया है परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया गया, न ही हितबद्ध व्यक्तियों को कोई सूचना दी गई और न ही नामान्तरण पंजी पर हितबद्ध पक्षकार बिहारी सिंह तथा गम्मू के हस्ताक्षर हैं, जबकि संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों के अन्तर्गत विधिवत इस्तहार का प्रकाशन किया जाना एवं हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना वैधानिक आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा विवादित नामांतरण प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है । राजस्व निरीक्षक को केवल अविवादित नामान्तरण करने का ही अधिकार है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और क्षेत्राधिकार रहित आदेश में समय–सीमा का बन्धन नहीं रह जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष लगभग 30 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है ।

जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी उपरोक्त निष्कर्ष के साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और आवेदक के भाई के जीवित रहते किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा मृत्यु उपरांत अनावेदकगण द्वारा नामांतरण के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, जो कि उनकी दुर्भावना को स्पष्टतः परिलक्षित करता है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो इस्तहार का प्रकाशन किया गया है, न ही हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना दी गई है और न ही उनके हस्ताक्षर हैं । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को आदेश की जानकारी होना नहीं ठहराया जा सकता है और पूर्णतः अवैधानिक आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर